

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/संस्तुति के आधार पर जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अंतर्गत देवीनगर(धामपुर) तुसरेड़ा-ठांगा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 4.4905 है० की दुगुनी अवनत भूमि 8.981 है० जो ग्राम दुलम राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या -47 के पैमाईशी खेत नम्बर 4637 रकवा 14.625 है० मध्ये 8.981 है० जो श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज है, को शासनादेश संख्या 2173/XVIII(11)2012-18 (120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-08बी/यू.सी.पी./06/13/2018/एफ० सी०/2199 दिनांक 18.02.2019 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर ।

संख्या -87/ छब्बीस -09 वन /2018-19 दिनांक 11 /06/ 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2- उपजिलाधिकारी, कपकोट ।
- 3- अभिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
- 4- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/ नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

वन अधिकारी

12/06/2019

P.C. Attestal

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर -

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।